

भूमि सुधार उपसमाहर्ता का न्यायालय, सरायकेला।

अभिलेख सं०-टी० ए० मिस वाद सं०- 91A/2019-20

केस का प्रकार-(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(i)a)

विभुति सरदारआवेदक/विक्रेता

बनाम

कुंवर हेम्ब्रम.....क्रेता

दिनांक

पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर

अभ्युक्ति

06-08-2020 विक्रेता :- विभुति सरदार पिता स्व० घासिया सरदार, ग्राम-डांगरडीह, थाना-राजनगर, जिला-सरायकेला-खरसावाँ (झारखण्ड), जाति-भूमिज।

क्रेता :- कुंवर हेम्ब्रम पिता स्व० मादरु हेम्ब्रम, ग्राम-रामपुर, थाना-राजनगर जिला- सरायकेला-खरसावाँ(झारखण्ड), जाति-संथाल।

विक्रेता द्वारा दिनांक 03.10.2019 को आवेदन देकर छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा-46(i)a के तहत क्रेता कुंवर हेम्ब्रम पिता स्व० मादरु हेम्ब्रम, ग्राम-रामपुर, थाना-राजनगर जिला-सरायकेला-खरसावाँ (झारखण्ड) को निम्नलिखित भूमि बिक्री करने हेतु अनुमति माँगी गयी है :-

:: भूमि का विवरण ::

| मौजा | थाना / थाना नं० | खाता सं० | प्लॉट सं० | रकवा |
|----------|-----------------|----------|-----------|-------|
| डांगरडीह | राजनगर / 163 | 45 | 612 | 21डी० |
| | | | 613 | 10डी० |
| | | | कुल- | 31डी० |

उक्त आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, राजनगर से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। साथ ही साथ सर्वसाधारण को जानकारी हेतु आम ईस्तेहार निर्गत किया गया।

अंचल अधिकारी, राजनगर का पत्रांक 150 दिनांक 13.02.2020 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है(अभिलेख के साथ संलग्न)। जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि :-

1. प्रस्तावित भूमि बिक्रेता के पिता घासिया सरदार के नाम से खयितान में दर्ज है।
2. बिक्रेता अपने पिता की मृत्यु के पश्चात् अपने हिस्से की आंशिक भूमि को बिक्री करना चाहता है।
3. प्रस्तावित भूमि बिक्री करने के पश्चात् बिक्रेता के पास रकवा-5.38 एकड़ भूमि शेष बचेगा।
4. बिक्रेता पारिवारिक खर्च हेतु भूमि बिक्री करना चाहता है।
5. बिक्रेता एवं क्रेता दोनों एक थाना के निवासी हैं, एवं जाति-'भूमिज' एवं संथाल हैं, जो अनुसूचित जनजाति के अन्तर्गत आते हैं।



लगातार.....2

उपरोक्त प्रतिवेदन में अंचल अधिकारी, राजनगर ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा-46(i)a के तहत आवेदक को प्रस्तावित भूमि बिक्री करने की अनुमति देने की अनुशंसा किया है।


न्यायालय द्वारा दिनांक 03.10.2019 को निर्गत आम सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। आज तक किसी ने कोई आपत्ति दायर नहीं की है।

अतः अंचल अधिकारी, राजनगर के अनुशंसा के आलोक में बिक्रेता विभुति सददार पिता स्व० घासिया सरदार, ग्राम-डांगरडीह, थाना-राजनगर, जिला-सरायकेला- खरसावाँ (झारखण्ड) क्रेता कुंवर हेम्ब्रम पिता स्व० मादरु हेम्ब्रम, ग्राम-रामपुर, थाना-राजनगर जिला-सरायकेला-खरसावाँ(झारखण्ड) को उभय पक्ष के निजी दायित्व पर ऊपर वर्णित रकवा-31डी० भूमि बिक्री करने की अनुमति छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा-46(i)a के तहत दी जाती है तथा आदेश दिया जाता है कि प्रस्तावित भूमि की बिक्री सरकार द्वारा निर्धारित दर से कम में नहीं करेंगे।

लेखापित,



भूमि सुधार उप समाहर्ता,
सरायकेला।


06/08/2020
भूमि सुधार उप समाहर्ता,
सरायकेला।